अनुबंध “अ”

पश्चगमन विकल्प की नोटिस

फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया

(ऑस्ट्रेलियाचे सांघिक न्यायालय)

जनलोक क्लास ॲक्शन

कदम व अन्य विरुद्ध एम.आय.आय. रिसॉर्टस ग्रूप-१ प्रा. लि. व इतर

क्यू.यू.डी. ५२८ वर्ष २०१६

१. यह नोटिस महत्वपूर्ण क्यों है?

सुनंदा बाळकृष्ण कदम, विशाल दिलीप म्हेत्रे आणि आबासाहेब रूपनर (अर्जदार) इन्होंने एम.आय.आय. रिसॉर्टस ग्रूप-१ प्रा. लि., पर्ल्स इन्फ्रास्टक्चर प्रोजेक्टस् लि. (भारत), निर्मलसिंग भांगू, सुखविंदर कौर आणि गुरप्रताप सिंग (उत्तरवादी) के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाके सांघिक न्यायालयमे कारवाई का (क्लास ॲक्शन) प्रारंभ कर दिया है. इस क्लास ॲक्शनमे सिक्युरिटिज ॲन्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) अर्थात भारतके वैधानिक नियंत्रक तथा ऑस्ट्रेलियन कमिशनर ऑफ टॅक्सेशन के द्वारा हस्तक्षेप किया जायेगा । इस नोटिस मे उक्त क्लास ऑफ ॲक्शनचा उल्लेख “जनलोक क्लास ॲक्शन” के रूप मे किया है ।

सेबी ने भी एक स्वतंत्र परंतु संबंधित कारवाई की अर्थात क्यू.यू.डी. १४७ वर्ष २०१७ की शरुआत कर दी आहे जिसमे इसी जनलोक क्लास ॲक्शन के विषयका समावेश है जिसका उल्लेख उक्त नोटिस मे सेबी कारवाई के नाम से किया है ।

जनलोक क्लास ॲक्शन तथा सेबी प्रोसिडिंग्ज इन सबकी सुनवाई दिनांक ५ फेब्रूवारी २०१८ को निर्धारित हुई है ।

पी.ए.सी.एल. लि. के साथ पैसों का निवेश करके भारतमे जमीन खरीदने के लिए उसका अनधिकृत तरिकेसे उपयोग किया गया है इसी विषय के साथ उक्त क्लास

ॲक्शनचा संबंध है । ऑस्ट्रेलियामे उन पैसोंमेसे संपत्ती की खरीद के लिए कुछ पैसा भेजा गया उसके साथ इस क्लास एक्शन का विशेष रूप से संबंध है ।

उक्त सांघिक न्यायालय द्वारा इस तरह का आदेश पारित हुआ है कि जो व्यक्ती इस मामले मे सम्मिलित है उनकी जानकारी के लिए इस नोटिस का प्रकाशन किया जाये । आप भी इस कारवाई के साथ जुडे हो सकते है । इसके लिए यह जरुरी है कि आप इस नोटिस को ठीक तरह पढे । इस नोटिस के विषय मे आपके सामने कोई भी प्रश्न उपस्थित हो रहा हो उसे आप किसी न्यायालय मे न ले जायें। यदि आप इसमे पाते है किं कुछ बातें आपके समझसे परे है तो आप कानूनी सलाहकार की सहायता ले सकते है ।

२. क्लास ॲक्शन का सही अर्थ क्या है ?

उक्त क्लास ॲक्शन यह एक व्यक्ति के द्वारा या अनेक व्यक्तियों के द्वारा उनके तथा उनके सदस्यों की ओरसे एक या अनेक व्यक्तियों के विरुद्ध प्रारंभ की है । विशिष्ट समूहके सदस्यों की ओरसे आवेदकों ने उक्त कारवाई शुरु की है इस का कारण यह है कि उत्तरवादी के विरोध मे उनका दावा भी उसी तरह का है ।

इस क्लास ॲक्शन के विषय मे इस कारवाईको आगे बढाने के लिए होनेवाले कानूनी खर्च के लिए सदस्य उत्तरदायी नही होंगे । इस क्लास ॲक्शनमे खर्च के लिए केवल आवेदक ही उत्तरदायी होंगे.

यदि क्लास सदस्यों ने कारवाई करने के विकल्प का चयन किया हो तो उक्त क्लास एक्शन से जो भी निकलकर आयेगा उसके लिए वे जिम्मेदार होंगे । यह क्लास सदस्य दो तरह से बांधे जायेंगे । पहले तरिके मे यदि निकालपत्र पारित किया जाता है और उसके बाद यदि कारवाई करनेका निर्धारित किया जाता है और दूसरे तरिके मे किसी भी समय किसी तरह का कोई समझौता होने की गुंजाईश हो।

यदि क्लास ॲक्शनमध्ये घोषित होता है या किसी तरह का कोई समझौता होता है तो क्लास सदस्य अपने दावे को आगे बढा नही सकेंगे तथा उत्तरवादी के विरुद्ध उन्हे वह दावा या मांग करना संभव नही रह जायेगा ।

यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी एक उत्तरवादी के विरुद्ध तथा अनेक उत्तरवादी के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से दावा है (जो जनलोक क्लास एक्शन से भिन्न होगा) या अन्य कोई दावा होगा तो आपको चयन करने के लिए निर्धारित समयसीमा समाप्त होनेसे पहले क्ला एक्शन के परिणामों के विषय मे आपके लिए आवश्यक है कि आप स्वतंत्र रूप से कानूनी सलाह प्राप्त करें ।

३. जनलोक क्लास ॲक्शन क्या है?

उक्त जनलोक क्लास ॲक्शन सुनंदा बाळकृष्ण कदम, विशाल दिलीप म्हेत्रे आणि आबासाहेब रूपनर इनमेसे हर एक ने अपनी ओरसे तथा नियमावलीमे स्पष्ट रूप से वर्णन कियेमुताबिक क्लास सदस्यों की ओरसे यह प्रारंभित कारवाई है ।

ऑस्ट्रेलियाके सांघिक न्यायालया के सामने पेश हुए क्यू.यू.डी. ५२८ वर्ष २०१६ च्या सुधारित दावे की कारवाई मे आवेदकों द्वारा अनेक आरोप किये गये है. उन्होंने इस तरह आरोप किये है कि सन १९९४ से २०१४ तक निर्मलसिंग भांगू ने बिना पंजिकरण के निवेश की एक योजना संचालित की थी जो एक कानूनी योजना होनी चाहिए थी जिसके द्वारा पी.ए.सी.एल. लि. भारतमे जमीन खरीद करके उसे विकसित कर रहे थे तथा भारत मे निवेशकों को जमिनपर बने प्लॉट बेच रहे थे । आवेदकों ने आरोप किया है कि यह एक कपटपूर्ण योजना थी ।

उक्त कार्य मे उपलब्ध लगभग १३३ दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की धनराशी पी.ए.सी.एल. लि. ने भारत मे स्थित पर्ल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि. (पी.आय.पी.एल.) को हस्तांतरित की । आगे चलकर यही धनराशी ऑस्ट्रेलिया के बैंक मे खुले खाते मे हस्तांतरित हुई । जेथे तिचा विनियोग अनधिकृत हेतूंसाठी करण्यात आला जिसका उपयोग अनधिकृत हेतुओंके लिए किया गया ।

आवेदक का दावा है कि उक्त हस्तांतर एक कपटपूर्ण योजना के हिस्से के रूप मे किया गया । आवेदकों का दावा है कि एक कपटपूर्ण योजना के एक हिस्से के रूप मे उक्त हस्तांतरण किया गया था । दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता है कि यह पैसा गलत तथा अनधिकृत कामों के लिए इस्तेमाल हुआ । आवेदकों का दावा है कि व तथा अन्य क्लास सदस्यों ने पी.ए.सी.एल. लि. के पास किये निवेश के मामले मे उन्हे बडा नुकसान उठाना पडा है । इसलिए आवेदकों ने मांग की है कि उनका तथा अन्य क्लास सदस्यों का यह पैसा उन्हे वापस दिया जाये । उत्तरवादीयों ने इन सभी आरोपों को ठुकरा दिया और कहा कि वे कानूनी कारवाई का सामना करने के लिए तैयार है । इस क्लास एक्शन मे सेबी तथा ऑस्ट्रेलियन कमिशनर ऑफ टॅक्सेशन का भी हस्तक्षेप होगा.

सेबी ने द्वारा प्रस्तुत अन्य दावे :

मार्च २०१७ मे सिक्युरिटिज अॅन्ड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सेबी प्रोसिडिंग का प्रारंभ किया । जनलोक क्लास अॅक्शन तथा सेबी प्रोसिडिंग यह दोनों एक दूजसे अलग है लेकिन वे एक दूजेसं संबंधित है । दिनांक ५ फेब्रूवारी २०१७ को इन दोनो दावों की सुनवाई करना निर्धारित हुआ है । जनलोक क्लास अॅक्शन मे सेबी की ओरसे हस्तक्षेप होना अपेक्षित है ।

इसमे सेबी के द्वारा यह कथन किया है कि पी.ए.सी.एल. लि. तथा अन्य तत्सम कंपनीयों मे निवेश करनेवाले भारत के ५८.५ दशलक्ष निवेशकों की ओरसे किये निवेश मे जनलोक क्लास एक्शन मे समाविष्ट निवेशक भी थे उनके लिए वे काम कर रहे है । पी.ए.सी.एल. लि. की ओर से ऑस्ट्रेलिया की ओर हस्तांतरित हुई धनराशी वापस लाने के लिए वे काम कर रहे है (इस पैसे मे संपत्ती बेचकर मिला पैसा भी सम्मिलित है) ।

आवेदक ने कथन किया है कि सेबी प्रोसिडिंग प्रारंभ करने के लिए सेबी के पास कोई स्थायी शीर्ष नही है । जनलोक क्लास अॅक्शन तथा सेबी प्रोसिडिंग के

विषय मे सेबी के अधिकारों के विषय मे वर्तमान मे न्यायालय के संमुख केस चल रहा है । डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री ऑफ फेडरल कोर्ट (सांघित न्यायालय) से संपर्क करके तथा उन्हे आवश्यक निर्धारित फीस देकर आपको सेबी प्रोसिडिंगके दस्तावेजों की नकलें प्राप्त की जा सकती है । इस संपर्क के लिए आवश्क विवरण www.fedcourt.gov.au इस वेबसाईटपर उपलब्ध है ।

४. इस पश्चगमन का अर्थ क्या है?

इस क्लस ॲक्शनके आवेदकोंने उनकी ओरसे इस क्लास एक्शन के लिए क्लास सदस्यों से अनुमति मांगनेकी कोई आवश्यकता नही या किसी विशिष्ट क्लास सदस्य की आवश्यकता नही है । कोई भी क्लास सदस्य उक्त क्लास ॲक्शन से पश्चगमन करके अपनी सदस्यता समाप्त कर सकते है । क्लास सदस्य कितस तरह यह पश्चगमन कर सकते है इस विषय मे निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत है। उस स्पष्टीकरण का शीर्षक है “आप इस कारवाईसे किस तरह पश्चगमन कर सकते है?”.

५. क्या आप क्लास सदस्य है?

यदि आप जनलोक प्रतिष्ठान पुणे भारत के वर्तमान सदस्य है या आपने शाईन लॉयर्स के साथ कुछ शर्तोंपर उक्त कारवाई के विषय मे दिनांक १३ जुलै २०१६ से पहले कोई अनुबंध किया हो तो आप भी १३ जुलै २०१६ के दिन एक क्लास सदस्य माने जायेंगे ।

यदि आपके मन मे अपने क्लास सदस्य होने के विषय मे कोई संभ्रम हो तो आप शाईन लॉयर्स से संपर्क करें (उनकी जानकारी नीचे प्रस्तुत है) या आप स्वयं ही कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते है ।

६. आपके क्लास सदस्य होनेपर क्या आप कानूनी खर्च के लिए उत्तरदायी होंगे?

आवेदक तथा अन्य क्लास सदस्य इनके सामने खडी समस्याओं को न्यायालय के द्वारा सुलझाने के लिए यदि आप जनलोक क्लास ॲक्शन मे क्लास सदस्य है तो किसी भी कानूनी खर्च के लिए आपको उत्तरदायी नही माना जायेगा। तथापि इस केस के विषय मे यदि आपका अपना कुछ निजी दावा हो तो आप शाईन लॉयर्स या आपके लिए काम करनेवाले किसी अन्य लॉयर्स से संपर्क कर सकते है। शाईन लॉयर्स से संपर्क करने के लिए आवश्यक विवरण नीचे प्रस्तुत है।

उक्त क्लास एक्शन मे यदि कोई आदेश पारित हुआ हो या कोई समझौता हो गया हो और उसके परिणामवश आपको कोई धनराशी देना बनती है तो उस विषय मे न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश भी पारित हो सकता है कि उन पैसोंमेसे इस क्लास एक्शन को चलानेके लिए आवेदकों ने जो खर्च किया है उसकी पूर्तता की जानी चाहिए जो अपेक्षा उत्तरदायी से नही की जा सकती। इस तरह के क्लास एक्शन के केस कई बार न्यायलय से बाहर समझौते के मार्ग से सुलझाये जाते है। यदि ऐसा होता है तो जो भी धनराशी बन जायेगी उसमेसे आपका हिस्सा पाने के लिए आप बिना कोई वकील किये दावा कर सकते है।

७. यदि आपने क्लास सदस्य बने रहने के विकल्प का चयन किया तो क्या होगा?

जबतक आप पश्चगमन नही करते तबतक जनलोक क्ला एक्शन मे न्यायालय द्वारा सूचित समाधान के लिए तथा पारित आदेश के लिए तथा न्यायनिर्णय के लिए बंधे रहेंगे। यद उक्त क्लास एक्शन सफल होता है तो आपको भी आवेदक तथा क्लास सदस्यों के हित मे पारित आदेश के कारण होनेवाले मुनाफे मे अपना हिस्सा मांगने का अधिकार होगा उसके लिए फिर चाहे आपको कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। यदी उक्त ॲक्शन असफल होता है या आपकी अपेक्षा के अनुसार सफल नही होता है तो आपको अपना दावा आगे बढाना संभव नही होगा तथा उत्तरवादी के विरुद्ध किसी अन्य कारवाई के दौरान आप यह दावा नही कर पायेंगे।

८. क्लास सदस्यों ने क्या करना चाहिए?

a. आप क्लास सदस्य कैसे रह सकते है ?

यदि आप क्लास सदस्य के रूप मे आगे भी बने रहना चाहते है तो वर्तमान मे आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नही होगी । जबतक आपकी ओरसे आवेदक न्यायालय मे अपनी कारवाई जारी रखते है तथा जब भी न्यायालय सभी हे हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोंपर उचित निर्णय लेंगे तब आप भविष्य मे आपको नोटिसेस मिलने के लिए आप निम्नलिखित क्रमांको की सहायता से शाईन लॉयर्स के साथ संपर्क कर सकते है ।

b. आप किस तरह इस क्लास ॲक्शन से पश्चगमन कर सकते है?

यदि आप क्लास सदस्य के रूपमे आगे बने रहना नही चाहते है तो आप इस क्लास एक्शन से पश्चगमन कर सकते है । यदि आप पश्चगमन के विकल्प का चयन करते है तो आप न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के लाभ मे हिस्सेदार नही होंगे या यदि कोई समझौता होता है तो उसमेसे मिलनेवाले लाभ मे भी आपको कोई हिस्सा नही मिलेगा । लेकिन जबतक सेबी प्रोसिडिंग चलेगा तबतक सेबी की ओरसे यह आश्वासन दिया है कि इस कारवाई के दौरान वे भारत के सभी निवेशकों के हित की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है जिसमे आपका हित भी सम्मिलित है । इन दोना प्रोसिडिंग की सुनवायी न्यायाल के द्वारा /फरवरी २०१८ मे संपन्न होगी ।

यदि आप जनलोक क्लास ॲक्शन से पश्चगमन करने का निर्णय लेते है तो आप उत्तरवादी के विरुद्ध अपना अलग से दावा दाखील कर सकते है। इसके लिए आपको अपने दावेके हिसाब से निधारित समय के भीतर न्यायालय की प्रक्रिया का प्रारंभ करना होगा । यदि उत्तरवादी के विरुद्ध

दवा आगे बढाने की आपकी इच्छा हो तो फिर पश्चगमन करनेसे पूर्व आपको निर्धारित समयसीमा के बीच अपने दावे के विषय मे आवश्यक कानूनी सलाह भी प्राप्त करनी होगी ।

यदि आपको क्लास एक्शन से पश्चगमन करना हो तो आपको न्यायालय द्वारा मान्यताप्राप्त नमूना २१ मे “क्लास सदस्य की पश्चगमन नोटिस” भेजनी होगी जिस बादमे रजिस्ट्रार ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को भेज देना होगा ।

महत्वपूर्ण : उक्त नोटिस रजिस्ट्रार के पास दिनांक २२ नवंबर २०१७ को दोपहर ४.३० से पहले पहुंचना आवश्यक होगा । यदि ऐसा नही होता है तो उस नोटिसका कोई उपयोग नही होगा ।

आपको क्लास सदस्य के रूप मे पश्चगमन का नोटिस भेजना आवश्क है यदि :

i. आपके पास क्लास सदस्य बननेकी अर्हता है तथा आपकी इच्छा इस सदर क्लास ॲक्शन से पश्चगमन करने की है ।

ii. यदि आपको पूरा विश्वास है कि गलत ढंगसे आपको क्लास सदस्य माना गया है यदि आप उसके निए निर्धारित शर्तोंको पूरा नही कर रहे है ।

हर एक सदस्य को जो पश्चगमन करना चाहता है स्वतंत्र फॉर्म भरकर देना आवश्यक होगा ।

९. मर्यादा कालावधि :

यह मर्यादा समयसीमा कानूनसे निर्धारित की है । यह समयसीमा समाप्त होने से पहले यदि व्यक्ति द्वारा कानूनी कारवाई शुरु नही की गयी हो तो उस व्यक्ति का दावा करने का अधिकार भी समाप्त हो जाता है ।

जिन क्लास सदस्यों ने पश्चगमन नही किसा है उनके विषय मे हर तरह की मर्यादा समयसीमा को रोक रखा है । जिस पल व्यक्ती क्लास एक्शन का विकल्प चुनता है उसी पल से उनकी समससीमा शुरु होती है । यदि आप ने क्लास ॲक्शनसे पश्चगमन का चयन किया हो और आपके दावे के विषय मे निर्धारित समयसीमा पूरी होने जा रही है या समाप्त नजर आती है जिसके कारण आप क्लास एक्शन मे नही होंगे तथा आपको उत्तरवादी के विरुद्ध कोई कारवाई करनेका अधिकार नही रहेगा ।

१०. संबंधित दस्तावेज की नकलें आप कहांसे हासिल कर सकते है ?

क्लास ॲक्शन तथा सेबी प्रोसिडिंग इन दोनों मामलों मे संबंधित कागदपत्रे दाखिल की गयी है । इस विषय मे विभिन्न आवश्यक दस्तावेज उदा. जनलोक क्लास ॲक्शन का सुधारित प्रारंभिक आवेदन, सेबी प्रसिडिंग मे प्रारंभिक आवेदन, जनलोक क्लास ॲक्शन मे दावे का सुधारित विवरण, सेबी प्रोसिडिंगमे दावे का विवरण, एम.आय.आय. रिसॉर्टस ग्रूप-१ प्रा. लि. द्वारा चुना हुआ बचाव, सेबीने सदर बचाव को दिया हुआ उत्तर वैसे ही सुखविंदर कौर व गुरुप्रताप सिंग के द्वारा दाखिल बचाव इ. की नकलें आपको निम्नलिखित तरिकों से मिल सकती है :

a. शाईन लॉयर्स की निम्नलिखित वेबसाईट से डाऊनलोड करना http://www.shine.com.au/service/class-action/pearls-ponzi-scheme/ अथवा

b. फोन क्र. ०२०-६५२७२७३७ पर कॉल करके अपॉईंटमेंट लेकर सुबह ९.०० ते शाम ५.०० बजे तक ऑफिस नं. ४०, चौरंग स्मितशिल्प, मांजरी रोड, महादेव नगर, हडपसर, पुणे-४१२३०७ इस पतेपर उन्हे देखा जा सकता है ।

यह केस बडी ही सावधानी से चलाना होगा । इसमे आपको ऐसा कुछ दिखायी देता है जिसके विषय मे आपके मन मे निश्चितता नही है तो आप आवेदक के वकील शाईन लॉयर्स से उनकी http://www.shine.com.au/service/class-action/pearls-ponzi-scheme/ या वेबसाईट द्वारा संपर्क कर सकते है या +६१ ७ ३८३७ ८४१५ इस क्रमांकपर फोन करके आप इच्छित सलाह पा सकते है इसलिए आप आपला निर्णय लेने मे जरा भी विलंब न करें ।

फॉर्म २१

नियम ९.३४

पश्चगमन करने के लिए नोटिस

क्र. क्यू.यू.डी.५२८ वर्ष २०१६

फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया

डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री क्विन्सलॅन्ड

डिव्हिजन : जनरल

सुनंदा बाळकृष्ण कदम व अन्य .. आवेदक

एम.आय.आय. रिसॉर्टस ग्रूप-१ प्रा. लि. व अन्य .. उत्तरवादी

प्रति:

दि रजिस्ट्रार

फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया

क्विन्सलॅन्ड डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्री

हॅरी गिब्ज कॉमनवेल्थ लॉ कोर्टस् बिल्डिंग

११९ नॉर्थ क्वे (सीएनआर टॅन्क स्ट्रिट)

ब्रिस्बेन-४०००

क्लास का नाम

सदस्य ______________________________ उक्त क्लास ॲक्शन मे क्लास सदस्य है. यह क्लास सदस्य फेडरल कोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ॲक्ट १९७६ च्या कलम ३३जे के अनुसार नोटिस देते है कि वे क्लास सदस्य ______________ के रूप मे इस क्लास ॲक्शन से पश्चगमन करना चाहते है ।

दिनांक : _____

हस्ताक्षर ________

नांव

दर्जा [उदा. क्लास सदस्य अथवा क्लास सदस्य के लॉयर]

जिनकी ओरसे दाखिल किया है उनका नाम तथा उनका योगदान ______________

तैयार करनेवाले व्यक्ति/लॉयर का नाम ________________

लॉ फर्म (लागू हो तो) ____________

टेलिफोन __________________ फॅक्स _____________

इ मेल _________________________

पत्राचार करने के लिए पता

(राज्य आणि पिनकोड क्रमांक लिखें)

[स्वरूप २ फॉर्म स्वीकृती ९/१०/१३]